

7.9.2024

पत्रावली पैग उई। वकील प्राची उपस्थित। मूल वाद प्रकरण में वकील वादी की बहस दिनांक 31.8.2024 को सुनी जाकर वाद प्रकरण को दिनांक 7.9.2024 को निर्णय पारित कर दिया जाने से प्राचीना पत्र स्तारबिन हो जा रहा है। प्राचीना पत्र में शक और कोई भागे कार्यवाही की जाना प्राथमिक नहीं होने से प्राचीना पत्र प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली केवल शुभाह वीक नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
इंगल

